

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): It is one-sided only...
ructionsq—

MR. CHAIRMAN: The House stands adjourned for lunch till 2.30 p.m.

The House then adjourned for lunch at three minutes past one of the clock.

The House reassembled, after lunch, at thirty-two minutes past two of the clock. The Deputy Chairman in the Chair.

RESOLUTION DEMANDING APPOINTMENT OF A HIGH-POWERED COMMITTEE CONSISTING OF MEMBERS OF BOTH HOUSES OF PARLIAMENT REGARDING ELECTORAL REFORMS — CONTD.

THE DEPUTY CHAIRMAN: On the last occasion Shri B. Satyanarayan Reddy had not concluded his speech on the Resolution. He may please do so now.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): Madam Deputy Chairman, on the last occasion when the House adjourned I was half-way speaking on the Resolution moved by my friend, Shri H. Hanumanthappa, on electoral reforms. Electoral reforms have been discussed several times in this House as also in the other House. Many seminars have been held. Many organisations, legal luminaries, advocates' associations, others, have participated and deliberated on the topic. Gandhi Peace Foundation had appointed a committee. Jayaprakash Narayan had appointed a committee known as the Tarkunde Committee which has recommended electoral reforms. Now and then Government has been saying that it is in favour of electoral reforms. But no concrete steps have been taken by Government towards that end. The Election Commission has also on several occasions recommended electoral reforms; it has made its own proposals from time to time. Even

recently the Election Commission has sent its proposals in the light of the experience, gained during the Lok Sabha elections held in 1984 followed by elections to a number of State Assemblies. The Election Commission wanted to highlight one or two particular issue and they sent a report to the Government. The said two things: firstly, booth capturing which is chronic in certain States like Bihar and also in some other places, and they have recommended certain steps to check booth capturing; secondly, they have recommended measures to check frivolous nominations, that is, a number of candidates standing for election from the same place. They have also recommended restrictions on contesting election from many constituencies at the same time; then, appointment of regional commissions. This has been stressed by almost all political parties but no step has been taken by Government in this regard so far. This proposal was accepted. Even the Election Commission said in its report: "This proposal was accepted. It was also made clear that Section 19A of the Representation of the Peoples Act 1951 would be amended before the General Election to specify Regional Commissioners with delegated powers and functions of the Election Commission." But till this day nothing has happened no step has been taken. Then another recommendation was for "safeguards against printing of spurious and fake ballot papers". This Government has not taken seriously about any of these things. Things are continuing under the very nose of the Election Commission. Then another important recommendation made by the Commission is delimitation of constituencies and rotation of seats reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. This is very important. All political parties have been demanding it. But so far Government has not taken any steps. Then about reducing the role of money power in elections. This

is also a very important recommendation. Though some limit has been fixed both for Parliamentary elections and Assembly elections, yet the money that is being spent on each election is beyond our conception. How are you going to ensure that our democracy prospers? How are you going to ensure that our democracy, our electoral system, inspires confidence in the people? I do not know. Government must take immediate steps if they want our democracy to be truly successful as conceived by the founding father founders of our Constitution. But the Government is sleeping over the matter. Everytime they give some excuse or the other and no concrete measures have been taken so far.

Then, in 1977 a review was undertaken of the recommendations made by the Commission. Then fresh recommendations were sent to the Government of India on October 22, 1977. These recommendations were in four parts: (1) dealing with Representation of the people Act 1950; (2) dealing with Representation of the People Act 1951; (3) dealing with the second part of the report of the Joint Committee of the Houses of Parliament on amendments to the Election Law — even the Joint Committee of the Houses of Parliament made certain amendments to the recommendations of the Election Commission; and (4) dealing with the report of the Tarkunde Committee on Electoral Reforms which, as I said, was constituted by Jayaprakash Narayan. That Committee proposed very important recommendations on electoral reforms. Many of those recommendations were accepted by the Election Commission. They have recommended them to the Government for acceptance. Government also said that they were going to bring electoral reforms. But so far no concrete steps have been taken. Many times in this House and in the other House Government said they were bringing electoral reforms. In

1982 the earlier recommendations were again reviewed thoroughly by the Election Commission and sent to the Government. In this connection the main recommendation was about ban on defections and that law was passed. The other recommendation is creation of an election fund. This is one of the important recommendations and this fund must be at the disposal of the Election Commission.

There are other important recommendations like regulation of the role of political parties to safeguard against multiplicity of parties, against the role of money power in elections, etc. There is a recommendation of ban on defections. Of course, the law in this regard has been passed. Safeguards against the misuse of official machinery should also be there. This is another recommendation. This is one of the important things which are to be considered. Then, the question of the independence of the Election Commission must be there. In this House itself, recently, this issue was discussed and it was suggested that in order to ensure the independence of the Election Commission, it should be a multi-member body. Then there is the recommendation regarding use of electronic voting machines. This is the most simple and less expensive thing and it has been tried as a sample in the last elections. It is more useful and less expensive. These are some of the recommendations which have been made time and again by different organizations. Even the Election Commission has recommended these things. Recently, many eminent persons jurists and Members of Parliament have appealed for reforms and have sent a letter under the signature of Shri Ramakrishna Hegde, the Chief Minister of Karnataka, some of the things which they have recommended by way of reforms are very necessary. It has been said in that letter:

[Shri B. Satyanarayan Reddy]

"The health of the country's political system depends on the electoral process and the electorate of our country has come to believe that unless comprehensive electoral reforms are carried out, the verdict of the ballot box would cease to be credible".

This is very important. Unless and until you make the necessary reforms and you take steps to do away with the defects found in the electoral process, the very faith of the people in the fundamentals of democracy would be lost and, therefore, it is necessary that steps should be taken at the earliest in this regard. Even the President, while inaugurating the Parliament session in January 1985 had committed the Government to take expeditious steps in this direction. But the follow-up has been very slow and hesitant. They have also stated that the wholesale capturing of booths, the manifest asserting of black money and the assertion of muscle power have induced wide-spread frustration. This has become the order of the day. So, they have said that the agenda for the reforms must begin with the Election Commission and its structure and authority. They have also suggested that a three-man commission be appointed in consultation with the Chief Justice of India, the Prime Minister and the Leader of the Opposition. It has also been suggested that the members of the Commission should be debarred from accepting any governmental offence after retirement. The Regional Commissioners should have no service linkage with the State Governments or the Union Government. Their qualifications and salaries should be similar to the ones prescribed for the Judges of the High Court. Then there is another very important recommendation. In order

to check impersonation, they have recommended issue of identity cards to the voters. We have done in Andhra Pradesh in the recent municipal elections. In countries like Australia, it seems, there is a provision for compulsory voting. This also we have suggested so many times. There is the List System of West Germany which can be adopted as it gives proportional representation to various political parties. The systems which can lessen the evils can be considered by the Government. Use of electronic voting machines, I support this recommendation. These are other recommendations made here. I don't want to repeat all the recommendations. I would like the Law Minister to go into these recommendations, signed by Mr. Ramakrishna Hegde and several others, including judges, doctors and even Members of Parliament. This letter has been sent by Mr. Ramakrishna Hegde to all Members of Parliament. It is dated February 7, 1987. I request the Law Minister to go into this and accept all the recommendations which they have made.

Coming to the Resolution of Mr. Hanumanthappa. Madam, all the recommendations contained here were made earlier by several organisations and commissions and even the Election Commission. This report contains all these things. This Resolution has been brought by a member of treasury benches. I think there should not be any hesitation in accepting the Resolution. He has said in this Resolution that a Joint Committee should be constituted. Even a Joint Committee of both Houses had recommended electoral reforms.

So in view of this, I request the Law Minister to come forward and bring a Bill for electoral reforms immediately.

Thank you.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA (Gujarat): Madam Deputy Chairman, a deeply discussed matter is our elections today. There is a wide debate on it. But I want to pose the main issue: Are we touching upon the deeper aim and philosophy behind elections? Some people have suggested some administrative reforms, some technicalities — Presidential system, abolition of the Upper House at the State level, so on and so forth. My question that we should ask the very pertinent question whether elections which are meant for strengthening democracy and electing popular Governments, have really strengthened democracy in our country. When I ask whether we have really strengthened democracy in our country. I put the issue this way: Are the people ever made conscious of what they are voting for? They are sometimes voting for the individual, sometimes for the big actor, sometimes for some collective group, and so on. But they are fighting what? If you see the trends of the elections during the last three and a half decades, you will find this. The Mandal Commission came to the conclusion that these elections have strengthened casteism enormously. Since then we have been watching that communalism is making big inroads and regionalism has come on top in several States. Can these things, casteism communalism and regionalism, strengthen our national unification, national integrity and also democracy? We are witnessing that every time caste and communal elements are coming up and the political parties, instead of fighting this casteism, give concessions to it. Not only that. Sometimes they surrender to it. That is how the religion has come on top in certain States and the Khalistan movement is ultimately developing into khalistanism by a section of these people.

If the elections are taking our

people and our country towards subversion of nationalism and thereby subversion of democracy and if our minds are getting segmented over it on caste and communal lines, should we not pose the issue as to why we should hold such kind of elections in the country? This is a very important question which is agitating the minds of all secular forces, nationalist forces and those forces which want to strengthen India. It is a fact that the political parties are giving more and more concessions and surrendernig to casteism and communalism. If I am asked to sponsor a particular candidate. I would first see whether he can win or not. He can win only if he has the communal backing and the caste backing. This is so in a majority of the cases. In a very few cases, people would be elected on the basis of merit or on secular lines. So, what are we going to do? This is my humble question. The various committees and commissions are discussing only about administrative and technical things such as, whether the deposit should be raised or not, whether the electoral machinery is corrupt or not, whether booth capturing is going on or not, how much should be allowed to be spent, whether the election funding should be done by the State or by the individual. These questions may have some relevance. But they do not answer the basic question of how to strengthen democracy and how to strengthen national integration. Therefore, my submission is this. We have to think afresh about our electoral reforms. I have written an article and I would be making certain point from this article. I have sent it to the Prime Minister and he has replied back saying that my comments on electoral reforms are useful. Of course he would not endorse all the points. But he found utility in my points because I had focussed this issue and what is to be done

[Shri Chimanbhai Mehta]

about it. I think that there should be a personless contest. Individuals should not be allowed to contest elections. Only parties should contest. The moment you project an individual, his caste and community are focussed. His caste will come into play. His religious belief will come into play. Therefore although I may be fighting in the name of a political party, the electorate would be discussing my caste and not the performance of my political party. Not the programme of my political party. So, what we desire subjectively is not responded to by the electorate because they think first who is the candidate, whether he is a *baniya*, a *patel* a *rajput* or a *brahmin*. Therefore although parties may bring out manifestoes, it makes no difference. Once I was amused when the Prime Minister of India said in 1977-78, who reads political manifestoes, nobody reads them, and therefore he was not bound to implement them because the votes were given on some other basis.

AN HON. MEMBER: He was a different Prime Minister.

SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Exactly. He may be different. Now, therefore, political manifestoes you may bring out but that does not have relevance with the electorate. So what is being discussed in elections is caste *versus* caste, community *versus* community. Let us make it a reality and make it a personless contest. Individuals should not be allowed to contest. Let there be a contest between two parties or three parties on the programme and on the performance, because the people would judge you by whether you are a socialist or a capitalist or a monopolist or a landlordist. Then peoples conscience would be heightened. Our country's political culture is very backward in certain respects, but once the candidates are contesting on the basis of parties and

programmes then the performance and other things would come into play and casteism would be thrown in the background, communalism would be thrown in the background, fundamentalism would be thrown in the background, regionalism would be thrown in the background and political philosophy would be discussed, programmes would be discussed and the performance of the party would be discussed. And today what is the phenomena? Sometimes we find that every individual wants to form a party, a political party. Recently we have been witnessing two or three political parties coming up in Uttar Pradesh and some other areas coming up like that. Even if there is one person, he starts forming another party because he knows that he has some caste and community backing and, therefore, at the cost of the national unity, by doing fragmentation socially they launch this sort of political parties and therefore the result is multiplicity of parties. The root cause lies here. Multiplicity of parties are based on individuals. I would like to say that the entire system of electoral reforms has to be fought in a new direction, in a new way and, therefore, once having elected a party, the persons who should go to Parliament or Legislatures should be left to be decided by the Parties and they will send their representatives, they will nominate them.

Sir, I am not advocating List System here. List system also has its own pitfalls because in the list system individuals are projected. At a certain stage in future we may do that after having developed new political culture. That is another matter. But political parties can nominate their representatives after they have won in different constituencies of the State in the country. Mind you, this is not proportional representation. The only thing then is that what is today represented by

individuals or by a political party in a particular constituency from there if a political party is elected in (a) constituency, the representative of that political party which has won in (a) constituency will sit in Parliament or in the Legislature. This should not be confused with proportional representation because proportional representation in our country would enormously strengthen casteism and communalism. Although

3.00 P.M.

it may be a good system for other countries, this should not be tried in our country. Therefore, I would say, let us develop this electoral system. Often, Mr. Hegde is being quoted here as if he is going to deliver this country from so many kinds of hazards. Mr. Hegde was once condemning the Presidential system when it was being discussed during the time of Indiraji. It was a very subjective reaction. At that time, it had the merits also because people were deserting parties and governments were coming down and collapsing. Now, we have the Anti-Defection Act. We do not find any government collapsing for losing majority due to Aya Ram-Gaya Ram methodology. Therefore, the governments are stable. This system of having a Prime Minister as the executive head and also leading the nation has much better value. At that time, Mr. Hegde could not think of Presidential election. Now he is thinking of it, because the thinking of some of the Opposition members—I would not say or attribute it to all of them—is very subjective. Therefore, this also should be considered that it has no value at all at the moment. Our system is quite O.K. We are completing four decades after our freedom and electoral experience. During these four decades, we should have learnt something; and we have learnt something. Our present-day electoral system is

largely a copy of the British system where casteism or communalism is not there. We copied it because it was based on adult franchise. But our adult franchise is now polluted to another line of thinking and, therefore, let us have a new look to the whole thing. Let us not copy Britain. Their political culture has developed during the last 200-300 years and we are just four decades old. We are an independent society. Let us go for the total reform of electoral system.

Thank you.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) :

उपसभापति महोदया, प्रजातन्त्र के आधार के लिए दो महत्वपूर्ण आधार चाहिये। पहला देश में भोजन की सुविधा सब को चाहिए, जब तक पेट नहीं भरा होगा तब तक आजादी पर विचार करने की सुविधा शायद किसी को मिलती हो। सब से बड़ा सवाल भारतवर्ष के आगे यह है कि आज 40-50 प्रतिशत लाख लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो दिन भर परिश्रम करने के बाद भी अपना पेट नहीं भर सकते हैं वह चुनाव में किस प्रकार स्वतन्त्रतापूर्वक मतदान कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल शिक्षा का है। जिस देश की 68 प्रतिशत आबादी अशिक्षित हो उस आबादी का प्रजातन्त्र पर अपना वर्चस्व होने के बाद भी उसका वर्चस्व नहीं है इसलिए कि वह इस प्रजातन्त्र के महत्व को नहीं समझ पायी है। इसलिए जब तक भारत सरकार इन दो मूल मुद्दों को तय नहीं कर पाती है तब तक इस प्रजातन्त्र की पद्धति पर चर्चाएं कर सकते हैं सफलताएं प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम तो अभी चर्चा मात्र पर ही संतोष करना चाहेंगे। मैं अपने माननीय सदस्य हनुमन्तप्पा जी का अभिवादन करना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रजातन्त्र पर विचारार्थ प्र ताव रखा और आज सदन में उस पर विचार हो रहा है।

[श्री जगदम्बी प्रसाद दादर]

मैं बिहार का रहने वाला हूँ तो इस असमानता का दृष्य भी देखता हूँ। गया के कोच में चुनाव हुए। एक विश्लेषण करने वाले ने दौरा किया कोच के तेरह गांव का हरिजन नौ-दस चुनाव ही जाने के बाद भी उसने मतदान केन्द्र या मत-पत्र देखा भी नहीं है और विचार दिया जाए कि यह सामाजिक राजनैतिक आर्थिक और शैक्षणिक असमानता का कितना बड़ा भयंकर रूप है।

हम नगाड़ा बजाते हैं कि हमारे देश में प्रजातंत्र बड़ा सुदृढ़ है और कभी-कभी प्रजातंत्र में जनता-तान देन जब हवा का बहाव आता है तो निर्णायक बात भी कर बैठती है। उस पर भी हम अपने प्रजातंत्र की प्रशंसा की बात करते हैं।

मैं मंत्री जी से दो सवाल करना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग की सिफ रिश्ट को मंत्री जी लागू क्यों नहीं करते? एक सवाल यह है। बार-बार प्रश्न उठाया जाता है और किसी न किसी तरह जवाब देकर मंत्री जी निकल जाते हैं, लेकिन उस पर विचार नहीं करते।

दूसरा सवाल मैं उठाना चाहता हूँ कि विरोधी दलों की चुनाव सुधार पर शीघ्र विचार-विमर्श करने का जो आश्वासन था, वह कब तक किया जाएगा इस पर भी कोई निर्णायक बात नहीं हो पाती है। इसलिए मैं मंत्री जी से जल्द चाहूंगा कि इन दो सवालों के बारे में अपने जवाब में बतायें कि इस पर उनका क्या निर्णय है, या मत या विचार है?

एक सवाल चुनाव आयोग के बारे में बार-बार इसलिए आता है कि चुनाव आयोग एक-पदस्थीय अब असफल प्रमाणित हो चुका है और अभी-अभी जो प्रदेशों में चुनाव हो रहा है और उसके साथ एक प्रदेश और का चुनाव होना चाहिए था, लेकिन जहां पर कांग्रेस की सुविधा नहीं रही, तो चुनाव आयोग ने कुछ न कुछ झाड़ लेकर उस चुनाव को नहीं कराया

है। यह इतनी ग्लैरिंग एक्जाम्पल हो जाती है कि सरकार उसकी कितनी भी-कभी मतदाता सूची की बात कर ले चुनव आयोग और कभी कुछ कर लें, लेकिन अगर साफ कराती है, तो कम से कम यह बात नहीं उठ खड़ी होती। जब कांग्रेस को सुविधा देनी थी, तो एक व्यक्ति का चुनाव करा दिया। अगर एक व्यक्ति का, एक विधान सभा का चुनाव हो सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि दूसरी विधान सभा का चुनाव नहीं हो सकता है।

यह साफ बतलाता है कि चुनाव आयोग सरकार के हाथ में खेल रहा है। इसलिए मेरा विचार है और अन्य सदस्यों का भी विचार रहा है कि चुनाव आयोग एक-सदस्यीय नहीं, बहु-सदस्यीय होना चाहिए।

तो मैं सरकार और मंत्री जी का यह विचार जानना चाहूंगा कि इस चुनाव आयोग को आप किस हिसाब से देखना चाहते हैं?

अब शिक्षा का सवाल उठाया गया था। मुझे तो लगता है कि भारत सरकार शिक्षा पर चालीस वर्षों के बाद भी प्रयोग हो कर रही है। संविधान में जो दिया गया था कि हम सब व्यक्तियों को शिक्षा देंगे, उसको अनिवार्य मान कर देंगे, लेकिन शिक्षा हम दे नहीं पाये और वस्तुस्थिति तो यह है कि शिक्षा की जो गति है आज भी चालीस वर्षों के बाद भी वही है। जो लड़के-लड़कियां स्कूल जाते हैं, वह आज आगे जकर स्कूल में ही छोड़ने की जो समस्या है, वह आज तक एक समान है।

तो मंत्री जी का ध्यान मैं इस और भी दिलाना चाहूंगा कि शिक्षा में यदि इस प्रकार दुर्देव होता रहा, तो पता नहीं कि हमारे प्रजातंत्र का बेड़ा कहां से पार लगेगा।

दूसरा सवाल अब यह है कि चुनाव कब होगा? यह भी हिसाब ठीक नहीं रहा। चुनाव की परम्परा के हिसाब से भी

चुनाव का समय पर होना बहुत आवश्यक है। एक विवाद अपने देश में यह भी खड़ा हो गया है कि लोकसभा का चुनाव अलग और विधान सभा का चुनाव अलग, बहुत बार यह विषय विचारपूर्ण रहा कि अगर दोनों का चुनाव एक साथ हो तो एक तो चुनाव का खर्चा कम होगा और दूसरे मतदाताओं को विचार करने का मौका मिलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि चुनाव का जो खर्चा बढ़ा हुआ है इसमें सरकार दल कांग्रेस को यह सुविधा है, उनको पैसे का सुविधा है, साधन का सुविधा है। अलग-अलग चुनाव कराने में उनको सुविधा है। इसलिए मैं जरूर मंत्रों जी का विचार जानना चाहूँगा कि इन दोनों का चुनाव एक साथ हो और इस प्रक्रिया को ठँक करने के लिए आप कौन से कदम उठाना चाहते हैं? क्योंकि मैं खर्च का बान करना चाहता हूँ तो यह खर्चा दो भागों में बंटने के कारण खर्चा भी ज्यादा होता है और चुनाव दो बार होने से इसकी व्यवस्था में भी परेशान होत है। यह सवाल भी बार-बार आया है कि चुनाव के 21 वर्ष की उम्र को घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाए। कुछ जगहों पर रिया भी गया नगरपालिका और स्वायत्त शासन में और कहीं-कहीं नहीं किया गया। आज कम्प्यूटर के युग में का विचार तंत्रता से बढ़ रहा है और ज्ञान भी लोगों को जल्द हो रहा है। तो 18 वर्ष के नौजवानों को मतदाता क्यों नहीं बनाते? मैं समझता हूँ कि मंत्रों जी इस बात पर जरूर विचार करेंगे। खर्च के बारे में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। सचमुच में एक यथार्थ दृष्टिकोण जो चुनाव में भावह हुआ है उसके लिए विचार का चित्र में रखना चाहूँगा। परन्तु पहले मैं खर्च की बान कहना चाहता हूँ कि चुनाव का खर्चा इतना बढ़ चुका है कि कोई साधारण आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है। गान साधारण आदमी की बान छोड़ दूँ तो साधारण पाटियों भी चुनाव नहीं लड़ सकते। चुनाव लड़ना कांग्रेस पार्टी के बूते के बा। होगी दूसर पाटियों के बूते को बान नहीं है। इसलिए चुनाव के खर्च की बात बार-बार उठाई जा रहा है। चुनाव का खर्चा करने का विधि-विधान

और इसका बात भले ही आनस में बैठकर तय हो कि जिस प्रकार मान्यता प्राप्त दल को, मान्यता प्राप्त प्रतगशी को मतदान के ऊपर खर्चा करना होगा। जिस प्रकार से यह चुनाव सुधार उचित हो उस प्रकार किया जाए। यह चुनाव का खर्चा सरकार को करना चाहिए और जब तक सरकार चुनाव का खर्चा नहीं उठाते है तब तक सुधार नहीं हो सकता। चुनाव का अब जो खर्चा हो गया है वह एक मखौल के रूप में हो गया है। इसलिए मैं मंत्रों जी से इस बात पर उनके भी विचार चाहूँगा। मान्यता प्राप्त संभाति ज, बिहार में चुनाव का दृश्य हम लोगों ने देखा हुआ है। खर्च का ह सवाल नहीं है मसल पावर का ह सवाल नहीं है, बूथ कर्चारा का ह सवाल नहीं है। जातिवाद का ह सवाल नहीं है बहुत भयानक सवाल सरकार तंत्र का है। अब तक ठँक था और जो सरकारी पार्टी होत थी उसके पास ह मसल पावर होत थ और सार सुविधाएं होत थी। लेकिन अब तो बांका के चुनाव में यह दर्शाता है कि चाहे सरकार जितना भ बले कि हम निष्पक्ष चुनाव कायेगे एक निष्पक्ष चुनाव कराने वाला भ कोई हो जाए सरकारी तंत्र जिला-धिकार के कब्जे में होता है कमिश्नर के कब्जे में होता है एमड ड० ओ० के कब्जे में होता है, पुलिस अधिचार के कब्जे में होता है। बांका का चुनाव सरकार तंत्र ने कराया और किस प्रकार चुनाव काया जाता है यह सुनकर आश्चर्य होता है। सरकार तंत्र चलता है विरोध दल ने लोगों को फांसे चल जाता है। वह सुनकर आश्चर्य होता है; सरकार तंत्र चलता है विरोध दल के लोगों को फालसे चला जाता है और जिसको मतदान कराना होता है वह मतदान करण के चया जाता है। भने गत विधान सभा के चुनाव में देखा है, मुंगेर के जिलाधिकारी ने कहा कि चार सट हमको मुझ मंत्रों स्व० श्रीमान चन्द्र शेखर ज. क. जी तंकर देना है चाहे जैसे भ हो जोते। मुझे पता लगा अफसरों के कहा है कि एक सट को तो लाख प्रयास के बावजूद भ जीता

[श्री जगदम्बो प्रसन्न यादव]

नहीं जा सकता है। तो हमारे जिलाधिकारी महादय ने कहा है कि हमें पुनः अपने पुराने काम पर लौट जाना होगा अगर हम जंतकर नहीं देंगे। और चारों सीट उन्होंने जीत कर के दीं। अब पार्टी जीत लेगी, यह सवाल नहीं है। जब सरकार का तंत्र हो यह प्रॉमिस करके दे कि हम जीत देंगे तो निष्पक्ष चुनाव की बात करना, इससे बड़ा मखौल क्या हो सकता है। मैंने देखा कि बांका के चुनाव में चुनाव के बाद काउंटिंग बूथ पर कमीशनर और कलेक्टर मौजूद हो गये और कहा कि विधायन सभा के लिए जो प्रत्याशी जीतता जा रहा है, इसको किसी न किसी तरह 5-10 वोट से हराना होगा। यह काउंटिंग बूथ पर जाकर कमीशनर और कलेक्टर कहते हैं, 'तो प्रत्याशी को मालूम हुआ बड़ा आया और वहां जाकर लड़ाई की दो कलेक्टर और कमीशनर को बाहर जाना पड़ा।

महोदया, जहां तक मतदान कराने का सवाल है। बिहार में मंत्री मतदान कराने जाता है। मतदान कराने ही नहीं जाता है, अपने से भी करता है। कौन रोकेगा उसको? अगर कोई रोकने वाला अफसर हो जाये तो उसे रहने ही नहीं देंगे। मैंने देखा है कि अगर आफिसर रहने की इच्छा कर ले तो निष्पक्ष चुनाव हो सकता है, छपरा में एक कड़ा एस० पी० था, मैं नाम नहीं लेता, उसने निर्णायक मत कराने के लिए निर्णय लिया और कहा कि जो नियम है, उस नियम का पालन कराएंगे, अगर मंत्री भी नियम तोड़ेंगे तो उन्हें नियम नहीं तोड़ने देंगे। उन्होंने मंत्री को भी नियम नहीं तोड़ने दिया और उनसे कहा कि आप लौट जाइये, नहीं तो हम गिरफ्तार करेंगे। यही कारण था कि वहां निष्पक्ष चुनाव हुए और कांग्रेस के प्रत्याशी की जमानत जप्त हो गयी। लेकिन उस बेचारे अफसर की भी वहां से बदली कर दी गयी है। तो सवाल यह है कि ऐसे मंत्री और चुनाव तंत्र का क्या होगा। हर तरह के आप उपाय कर लें, लेकिन अगर मंत्री-

नरी शुद्ध नहीं होती, निष्पक्ष नहीं होती आप अच्छे-अच्छे विचार कर लें, लेकिन इस विचार का क्या होगा। इसलिए मैं माननीय सदन से निवेदन करूंगा कि बिहार भुवतभी स्थिति में पहुंच चुका है, अब उससे ज्यादा भयावह स्थिति कुछ नहीं हो सकता। मैं तो समझता हूँ कि हमारे न्याय मंत्री भी चाहें कि हम चुनाव में मतदाता का न्याय दिलाएंगे, पार्टियों को न्याय दिलाएंगे तो यह आज की परिस्थिति में उनके वश के बाहर है क्योंकि जो चुनाव-तंत्र है, वह इनके कब्जे में नहीं है और जब तक यह तंत्र इनके कब्जे में नहीं होगा, तब तक चुनाव का क्या होगा।

महोदया, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हम सरकार को कोस रहे हैं, यह बात नहीं है। प्रजातांत्रिक चुनाव के लिए पार्टी का भी प्रजातंत्र होता नितान्त आवश्यक है। अगर पार्टी अपना प्रजातांत्रिक स्वरूप नहीं बनाती है, अगर पार्टी अपने ही दल का चुनाव प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं करा सकती है तो फिर वही दल किस प्रकार चाहता है कि हम देश में प्रजातंत्र कायम करेंगे। इसलिए यह स्वरूप आवश्यक है उसी तरह से पार्टी के खर्च का लेखाजोखा भी होना चाहिए उसका हिसाब भी होना चाहिए। अब तक खर्च के लेखाजोखा का हिसाब नहीं होगा, तब तक कठिनाई होगी। लेकिन इस लेखाजोखा के हिसाब में भी जब तक निष्पक्षता नहीं बरती जायगी, अब अगर किसी पार्टी ने किसी चंदे की बात किसी और वह पता सरकार को चल गया कि जिसने चंदा दिया है तो चंदा देने वाला हरेसमेंट में पड़ा... (समय की घंटी)। एक मिनट, तो पार्टी अपना लेखाजोखा प्रस्तुत नहीं कर सकती है, इसलिए निष्पक्षता का विचार वहां भी नहीं है।

महोदया, अब जहां तक प्रजातांत्रिक पद्धति से चुनाव का है, तो प्रजातांत्रिक पद्धति में देखा जा रहा है कि कम मतदान पाकर के भी ज्यादा सीटें ली जाती हैं और कम मत होने पर भी सरकार बन ली जाती है। क्या इसका कुछ निराकरण हो सकता है? हर चुनाव में

देखा जा रहा है कि जो दल चुनाव जीतता है, उसके प्रत्याशी का सब मिलाकर के जो प्रतिनिधित्व है, उसका कम मतदान होता है। क्या हम इस पर कुछ विचार करेंगे कि सूची पद्धति (लिस्ट सिस्टम) से चुनाव हा, जिसके जितने मत आएँ, उसके हिसाब से हम प्रतिनिधित्व दें। तो मैं माननीय मंत्री जी और से सदन से निवेदन करूँगा कि अगर प्रजातांत्रिक पद्धति ही सर्वोपरि हो तो उसके हिसाब से दूसरा रास्ता भी एडाप्ट किया जा सकता है। इसलिए इस चुनाव-पद्धति पर भी, लिस्ट-पद्धति पर भी विचार करें।

डा० हरप्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश) :
आदरणीय उपसभापति महोदया, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि आपने मुझे इस माननीय सदन के विद्वाने सदस्य श्री एच० हनुमंथप्पा द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर चल रहे चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। मैं इस संकल्प को भावना के पक्ष में परन्तु समिति के गठन के विपक्ष में कुछ निवेदन करना चाहता हूँ।

महोदया माननीय सदस्य ने जो कहा है मैं उसको उद्धृत करना चाहता हूँ।

“यह सभा सिफारिश करता है कि संसद की दोनों सभाओं के सदस्यों की एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त की जाए जो चुनाव सुधारों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करे और एक ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत करे जिससे चुनाव प्रक्रिया की विद्यमान खामियों को समाप्त करके निर्वाचन प्रक्रिया के कार्यकरण को सक्षम और प्रभावी बनाने के लिए उपाय सुझाए ताकि लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके और ज्यादा जनोन्मुखी तथा उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, धन शक्ति के दुष्प्रभाव को रोका जा सके, चुनाव की पुनीतता स्थापित की जा सके और ऐसे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके जो जनता की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित कर सके।

महोदया जैसा कि स्पष्ट है माननीय सदस्य लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाना

चाहते हैं, वह चाहते हैं कि लोकतंत्र को जनता की आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति करनी चाहिए, वह चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो। मेरे विचार से यही उनका लक्ष्य है, उद्देश्य है, उनका साध्य है, और निर्वाचन प्रणाली का वह सुधार के माध्यम के रूप में उपयोग करना चाहते हैं।

महोदया, प्रश्न यह उठता है कि कि क्या केवल निर्वाचन प्रणाली में सुधार द्वारा ही लोकतंत्र शक्तिशाली हो सकता है, भ्रष्टाचार का उन्मूलन हो सकता है। मेरे विचार से लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको और विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

महोदया, लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रथम आवश्यकता है कि जन प्रतिनिधियों का चरित्र आदर्श हो, उनकी कथनी और करनी में समानता हो, उनका चरित्र संदेह के परे हो, उनका चरित्र जनता के लिए अनुकरणीय हो। सेवा उनका कर्म ही नहीं धर्म हो। उनके आचरण के द्वारा जनता में लोकतंत्र के प्रति आस्था में वृद्धि हो। उसमें जनता के प्रति आस्था हो, जनता के प्रति प्रतिबद्धता हो, समर्पण हो। वह योग्यता तथा कार्यकुशलता में नौकरशाहों से अधिक सक्षम हो। उनमें जनता को अपनी महान नीतियों का लाभ प्रदान करने की शक्ति हो। तब लोकतंत्र सफल होगा, शक्तिशाली होगा।

महोदया, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जिनका चरित्र विश्व के नेताओं की तुलना में अद्वितीय है, उन्होंने प्रधान मंत्री के पद का कार्य ग्रहण करते ही सार्वजनिक जनजीवन की स्वच्छता पर सबसे अधिक बल दिया था जिसका राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में भी उल्लेख किया था। देश के समस्त जन प्रतिनिधियों को उनके महान चरित्र का

[डा० रुद्र प्रताप सिंह]

अनुकरण करना चाहिए। इसमें देश में लोकतंत्र शक्तिशाली होगा।

महोदया भ्रष्टाचार के उन्मूलन की बात कोई नई नहीं है परन्तु ज्यों ज्यों दवा की मर्ज बढ़ती ही गयी। यह आवश्यक है कि हम जन प्रतिनिधियों को एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। भ्रष्टाचार के संदर्भ में कभी भी जन प्रतिनिधियों का नाम नहीं आना चाहिए। यह लोकतंत्र के प्रति अनास्था उत्पन्न करता है, लोकतंत्र को निर्बल बनाता है। भ्रष्टाचार के जो सामाजिक दोष हैं उनको केवल सरकार दूर नहीं कर सकती है। आवश्यक है कि भ्रष्टाचार को भगाने के स्थान पर सदाचार लाया जाए। जैसे सूर्य निकलता है तो अंधकार जाता है, चांद आता है तो अंधेरा जाता है, सर्दी आती है तो गर्मी जाती है, सुगंध आती है तो दुर्गन्ध जाती है, उसी प्रकार जब सदाचार आया तो भ्रष्टाचार को जाना होगा। इसके लिए हमको उदाहरण प्रस्तुत करना होगा।

महोदया, जहां तक निर्वाचन प्रणाली में सुधार का प्रश्न है इसमें दामत नहीं हो सकते को उसमें मूल परिवर्तन की आवश्यकता है जिससे वह लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने में अपनी महत्तम भूमिका निर्वहन कर सके। इसके संदर्भ में अपने सुझाव में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते समय प्रकट कर चुका हूँ। उनकी पुनरावृत्ति करके मैं सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूँ।

माननीय सदन को याद है कि हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जी निर्वाचन प्रणाली में सुधार लाना चाहते हैं जैसा कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा है और विरोधी दलों के नेताओं से बातचीत की जाएगी, ऐसा आश्वासन भी उन्होंने दिया है। इसमें माननीय सदस्य को भी अपना मत व्यक्त करने का अवसर प्राप्त होगा।

श्रीमान्, हमारे लोकप्रिय प्रधान मंत्री के नेतृत्व में देश लगातार पल्लित और पुष्पित हो रहा है। उन्होंने प्रधान मंत्री के पद का कर्णभार ग्रहण करते ही दल-बदल विधेयक प्रस्तुत किया था जिससे लोकतंत्र के शक्तिशाली होने की प्रक्रिया को बल मिला है। मेरे विचार से निर्वाचन प्रणाली में सुधार लाने हेतु समिति के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिवदन को प्रस्तुत दिये जाने में अधि० समय लग सकता है जिससे हानि होने की संभावना है। सरकार इस पुनीत कार्य के लिए दृढ़ संकल्प है। हमारे सुयोग्य विधि राज्य मंत्री श्री भारद्वाज जो इस कार्य को निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। अतएव लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाने का मैं समर्थन करता हूँ और समिति के गठन किये जाने के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री वरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) :
माननीय उपसभापति महोदया, श्री हनुमन्तलाल ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूँ। भारत के संविधान में लोकतंत्र प्रणाली को स्वीकारा है और गत चालीस वर्षों से उसके आधार पर इस देश में निर्वाचन भी हुए हैं। लेकिन 40 वर्षों के अनुभव के आधार पर आवश्यकता पड़ी कि चुनाव प्रणाली में संशोधन किया जाये, सुधार किया जाये। हमारे मुख्य चुनाव अयुक्त श्री एस०एल० शकधर श्री अर० के० त्रिवेदी दोनों ने इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव भारत सरकार को भेजे हैं।

राष्ट्रपति जी ने भी जब दोनों सदनों को सम्बोधित किया था उस समय भी चुनाव प्रणाली में आवश्यक सुधार की ओर संसद का ध्यान आकषिप्त किया था। प्रधान मंत्री जी भी इसे स्वीकार करते हैं। किन्तु मालूम नहीं सब के स्वीकार करने के बावजूद भी चुनाव प्रणाली में जो दोष आ गये हैं उसमें सुधार करने में क्या रुकवटें हैं। माननीय मंत्री जी इस का उत्तर देने की इच्छा करें। हमारा देश

गरीब है यह सभी स्वीकार करते हैं। इस देश में 64 फीसदी अनपढ़ लोग हैं। गरीब भी हैं और अनपढ़ भी हैं। जातीयता और मजहब ने भी इस देश को दो टुकड़ों में बांट दिया। अंग्रेज तो चले गये लेकिन इस देश में सैपरेट इलेक्टोरेट्स कर गये थे। देश बंट गया। आज पंजाब में क्या हो रहा है। वहां पर भी इसी का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। और उसी का फिर से पंजाब में प्रचार किया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर में क्या हो रहा है? मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट वहां पर बन गया है। सो फीसदी साम्प्रदायिकता के आधार पर वहां चुनावों में प्रचार किया जा रहा है। जब देश में प्रथम संविधान सभा बनी थी उसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि धर्म को राजनीति से अलग रखा जाये। पाकिस्तान के सम्बन्ध में जो दुखद घटनाएं इस देश में हुई, जो भारत-माता खंडित हुई, जो देश का बंटवारा हुआ उसी से सबक लेकर प्रस्ताव पारित हुआ था लेकिन आज भी वह कोल्ड स्टोरेज में पड़ा है। मुझे नहीं मालूम उस को न स्वीकार करने की किस पर जिम्मेदारी है? इस देश को साम्प्रदायिकता ने इतना दर्ज का नुकसान पहुंचाया है, नुकसान पहुंचा रही है और पहुंचाती रहेगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि धर्म को राजनीति से अलग करने की कोशिश करें। यह देश गरीबों का है, अनपढ़ों का है। सारे चुनाव इस देश में धन के आधार पर होते हैं, जातीयता के आधार पर होते हैं, धर्म के आधार पर होते हैं, शराब के आधार पर होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप चुनावों में शराब के प्रयोग को, धन के प्रयोग को, जातीयता के प्रयोग को, धर्म के प्रयोग को किस प्रकार से खत्म करेंगे? यह अपने सामने एक चुनौती है। मैं आप से उम्मीद करता हूँ कि इस तरफ आप का ध्यान अवश्य ही जायेगा। आप चुनाव प्रणाली में सुधार करने की सोचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपके उस फैसले को जो केरल में किया

था रद्द कर दिया। अब आवश्यकता है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार आवश्यक संशोधन कर इलेक्टोरिक्स मशीनों को देश में चुनाव के टाइम पर इस्तेमाल करें। काउंटिंग में भी गड़बड़ी होती है, वोटिंग के टाइम भी गड़बड़ी होती हैं और बूथ केपचरिंग होता है। गरीब आदमी का वोट डालने नहीं दिया जाता है। ये बातें अब छिपी नहीं रह गई है। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि बिहार में कोई चुनाव ही नहीं हुआ है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने इन बातों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के अन्दर भी बूथ केपचरिंग की गलत परम्परा पढ़ गई है और सारे देश में यह बुराई बढ़ती जा रही है। इसको रोकने की आपको चेष्टा करना चाहिए। सन् 1961 की मदनमशुमारी के आधार पर पार्लियामेंट और ऐसम्बलीज की कांस्टिट्यूसी क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। उसके बाद सन् 1981 की जनगणना भी हो चुकी है। हमारे देश में बहुत तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ा है। कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ी है और कुछ क्षेत्रों में घटी है। आप देश को 21वीं सदी में ले जान की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक नई जनगणना के आधार पर नये चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण नहीं किया गया है। मैं चाहता हूँ कि आप नये चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करें। आइडेंटिटी कार्ड देने की बहुत आवश्यकता है। हम देखते हैं कि इम्परसोनेल की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। फर्जी वोटिंग होता है। इसलिए आइडेंटिटी कार्ड अवश्य दिये जाने चाहिए। एक सुझाव मेरा यह भी है कि केन्डीडेट्स जो पंचियां बांटते हैं, वे सिर्फ प्रशासन की तरफ से बांटी जानी चाहिए। हम देखते हैं कि हर केन्डीडेट अपनी पच्ची बनाता है और उसको बांटता है। जब प्रशासन की तरफ से सिर्फ एक ही पच्ची बनाई जाएगी तो खर्चा भी कम होगा।

मान्यवर, मैं मीडिया के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जितनी भी हमारे देश में पोलिटिकल पार्टियां हैं वे सब अपने विचार रखना चाहती हैं।

[डा० हर प्रताप सिंह]

इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे जनता में जागृति पैदा होती है और अनपढ़ आदमी भी उनको समझ सकता है। आप स्वीकार करते हैं कि जिस पार्टी को चार प्रतिशत वोट मिलें उसको आप पोलिटिकल पार्टी मानते हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि हमारे देश में पोलिटिकल पार्टियाँ बढ़ती जा रही हैं। पार्टियाँ टूटते-टूटते बढ़ती जा रही हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि जिस पार्टी को कम से कम 10 प्रतिशत वोट मिलें उसी को आप मान्यता प्रदान करें। हमारे देश में कम्युनलिज्म बढ़ता जा रहा है। कम्युनलिज्म व्यर्थ में वोटर्स को डिवाइड करता है। बिना वजह जाति और श्रेणियों का सवाल खड़ा कर दिया जाता है। जैसा मैं कह चुका हूँ, धन का भी दुरुपयोग होता है। सभी जानते हैं कि विधान परिषदों और राज्य सभा के चुनावों में पैसा देकर वोट खरीद कर चुनाव जीता जाता है। आप जानते हैं कि विधान परिषद और राज्य सभा के चुनावों में वोटर्स गिनेचुने होते हैं। इसलिए धन के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता है। धन के इस दुरुपयोग के कारण भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। चुनावों के अन्दर हमें स्वच्छता और पवित्रता लानी चाहिए। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि जो बातें राष्ट्रपति जी ने अपने सम्बोधन में कही हैं, जिनको प्रधान मंत्री जी ने स्वीकार किया है उनको ध्यान में रखते हुए लोकतंत्र की प्रतिष्ठा को खातिर और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जितने जल्दी आप चुनाव प्रणाली में सुधार लाएंगे उतना ही अच्छा है। आप अपने इस दायित्व को समझिये। अगर आप चुनाव प्रणाली में कोई सुधार नहीं लाएंगे तो जिस प्रकार से अब तक गुण्डागिरी की ताकत पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के दो व्यक्ति आजमगढ़ में भी दो व्यक्ति, और जौनपुर से एक व्यक्ति चुनाव जीतते जाएँगे। इसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। यह गुण्डागिरी है। गुण्डागिरी से, धर्म से,

जातीयता से, श्रेण्यवाद से चुनावों को बनाना होगा, तभी हम इस देश में लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, राष्ट्रपति जी के विचारों को कार्यान्वित कर सकते हैं। जब आप चुनाव प्रणाली में ये सुधार लाएँगे तभी देश लोकतंत्र के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है।

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : महोदया, भारतीय जनतंत्र प्रौढ़ हो चुका है। भारतीय जनतंत्र की विशेषता यह है कि इसने लोगों को राजनैतिक आजादी दी है लेकिन इसने अभी तक लोगों को आर्थिक आजादी नहीं दी है। अगर इस आजादी में लोगों को बोलने का अधिकार है तो साथ ही साथ इस आजादी में लोगों को भूखों मरने का भी अधिकार है। अतः हमारे देश का यह जनतंत्र अभी आंशिक है और इसे पूर्णता की ओर बढ़ाना है। इसे समृद्ध किया जाना चाहिए ताकि हमारे जनतंत्र में जो, कमजोरियाँ हैं उन्हें हम दूर कर सकें। इस में पूर्णता लाने की दिशा में बढ़ने के लिये यह जरूरी है कि हमारे देश में जो चुनाव प्रणाली है इसमें बिन्यादी सुधार किया जाय। अभी तक हमारे देश में जो चुनाव प्रणाली है उस चुनाव प्रणाली के अंदर अल्पमत वोट पाकर भी पार्लियामेंट और असेम्बली में बहुमत सीटें हासिल की जा सकती हैं। अगर मैं इतिहास का जिक्र करूँ तो 1952 को छोड़कर अभी तक जितने भी चुनाव हुए हैं किसी भी चुनाव में कांग्रेस को, आप देख सकते हैं कि 50 प्रतिशत से कम वोट मिले हैं। लेकिन कांग्रेस ने अल्पमत वोट पाकर बहुमत सीटें असेम्बली और पार्लियामेंट में हासिल की हैं। अभी तक कांग्रेस को केवल 40 प्रतिशत वोट मिलता है लेकिन कांग्रेस पार्लियामेंट और असेम्बली में 60 से 70 प्रतिशत सीटें हासिल करती है। यह इस बात का द्योतक है कि अल्पमत वोट पाकर देश के अंदर में बहुमत सीटें हासिल की जा सकती हैं और उसके आधार पर देश पर शासन किया जा सकता है। यह जनतंत्र की सही मायनों में अभिव्यक्ति नहीं है। इसकी सही अभिव्यक्ति यह होगी कि जिस पार्टी को जितने वोट मिले उसे उतनी ही सीटें

मिलनी चाहिए। लेकिन ठीक इसके विपरीत हमारे देश में बातें देखी जा रही हैं। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि हमारे देश के अंदर जनतंत्र को मजबूत बनाने के लिये, उसे और अधिक समृद्ध करने के लिये सानुपातिक ढंग चुनाव प्रणाली लागू की जानी चाहिए। इस चुनाव प्रणाली को अगर लागू किया जाय तो जिस पार्टी को जितने वोट मिलेंगे उसी के अनुपात में, उसी के अनुसार उस पार्टी को पार्लियामेंट और असेम्बली में सीटें भी मिलेंगी और यह सही मायनों में जनता की इच्छाओं की अभिव्यक्ति होगी। अभी तक जनता की इच्छाओं की सही अभिव्यक्ति असेम्बली और पार्लियामेंट में नहीं होती है। इसलिये जनतंत्र की पूर्णता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिये मेरा पहला सुझाव यह है कि इस देश के अंदर जो वर्तमान चुनाव प्रणाली है उसमें बुनियादी परिवर्तन किया जाये और देश में सानुपातिक चुनाव प्रणाली लागू की जाये।

दूसरी बात, इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि हमारी चुनाव प्रणाली बहुत मंहगी है। इसमें कोई गरीब का वेटा या कोई ईमानदार और सच्चा व्यक्ति जिसे शैलियों का समर्थन हासिल नहीं है वह चुनाव नहीं लड़ पाता। हमारे देश में दो तरह के दल हैं। एक तो पूंजीवादी दल हैं और दूसरा किसान मजदूरों का हितैषी दल जिसको वाम पक्षीय दल कहा जाता है। पूंजीवादी दलों के लिए चुनाव लड़ना हमारे देश में आसान है लेकिन जो किसानों के और मजदूरों के दल हैं उनके लिए चुनाव लड़ना टेढ़ी खीर है। पूंजीवादी दलों को शाहों की शैलियाँ मिल जाया करती हैं जबकि किसानों और मजदूरों के दलों के लिए यह बहुत ही मुश्किल और दुष्कर हो जाता है। उनके लिए शाहों की शैलियाँ भी उपलब्ध नहीं होती हैं। इसलिए सरकार को चाहिये कि इस देश में जनतंत्र को मजबूत एवं समृद्ध बनाने के लिए चुनाव का खर्च सरकार को स्वयं वहन करना चाहिये। सरकार कहेंगे कि क्या दुनिया में इस प्रकार की कोई परम्परा है, हाँ है, जापान और जर्मनी के अंदर चुनाव के तमाम खर्च सरकार वहन करती

है और सरकार तमाम कामों के लिए अरबों रुपये खर्च करती है। इसलिए कोई कारण नहीं कि चुनाव के खर्च को सरकार वहन नहीं करे। कुछ अरब रुपये खर्च होना कोई बड़ी बात नहीं है। भारतीय संविधान की दो धाराओं का इस सम्बन्ध में मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। धारा 82 और धारा 327 का मैं जिक्र करना चाहता हूँ। धारा 82 के अंदर यह प्रावधान है कि हर मत-गणना के बाद सीटों का एडजस्टमेंट होना चाहिये और 327 के मुताबिक यह है कि सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। 1981 में यह जनगणना हुई थी और 1985 में चुनाव हुआ। मैं आपसे यह पूछना चाहूँगा कि क्या उन्होंने सीटों का पुनर्निर्धारण किया। आप यह कहेंगे कि धारा 82 में प्रतिबन्ध है उस के मुताबिक सीटों के पुनर्निर्धारण की 1980-85 के बीच में हम करने में असमर्थ हो गये। संविधान का संशोधन भी किया जा सकता था। अगर संविधान में संशोधन किया गया है कि दो हजार तक सीटों का एडजस्टमेंट या पुनर्निर्धारण नहीं किया जा सकता है तो संविधान में संशोधन ला कर यह काम तो किया जा सकता है। इसलिए मैं सरकार से यह कहना चाहूँगा कि इस पर विचार करना चाहिये। कुछ आरक्षित सीटें हैं। मैं बिहार से आता हूँ। एक सीट की चर्चा करना चाहता हूँ वह है सासाराम चुनाव क्षेत्र जो कि आरक्षित क्षेत्र है। यह 1952 से आज तक आरक्षित है। इस सीट पर, बुरा न माना जाए, माननीय जगजीवन बाबू जीतते आ रहे हैं। यह सीट तब से ले कर अब तक कभी भी जनरल नहीं बनाई गई। मैं उस क्षेत्र से सम्बन्ध रखता हूँ वगल का रहने वाला हूँ। लोगों की भावनाओं को मुझे जानकारी है। लोगों का कहना यह है कि यह सरसर अन्याय है कि कोई एक सीट लगातार आरक्षित रखी जाए। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं आरक्षण के खिलाफ हूँ। मैं आरक्षण के पक्ष में हूँ। होना यह चाहिये कि कोई सीट अगर एक टर्म, दो टर्म तक आरक्षित रहे तो उसको आरक्षित सीट न बनाकर रोटेशन से दूसरी सीट को आरक्षित सीट

[डॉ० रुद्र प्रताप सिंह]

रखना चाहिये। यह काम सरकार को करना चाहिये, तभी लोगों में जो असंतोष पैदा होता है उसको दूर करने की दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता है। चौथी बात इस विषय में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां चुनाव मखौल बनता जा रहा है। बिहार के बारे में अभी जगदम्बी बाबू ने भी चर्चा की कि मैं भी यह कहना चाहता हूँ कि यह चुनाव बिलकुल मखौल है। यह किस मायने में मखौल है? जिसके हाथ में लाठी है, जिसके हाथ में मस्सल पावर है जिसके हाथ में गुंडे हैं उसके हाथ में वोट हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि संविधान की मूल धारा जो बालिग मताधिकार की धारा है जो गरीबों के हाथ में शक्ति देती है वह धारा गरीबों के लिए बिलकुल समाप्त हो चुकी है, वह अधिकार अपहृत हो चुका है, छीना जा चुका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर सही मायने में जनतंत्र को अगर फलना-फूलना है इस देश के अंदर, इसे अगर मजबूत बनाना है, तो जनता के जो संविधान के अंदर प्रदत्त अधिकार हैं, उनको लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए। उसको इस तरह सख्ती से लागू किया जाना चाहिए ताकि कुछ मुट्ठे भर मसल पावर—हमारे यहां तो सामंतों का बोलबाला है हमारे यहां अभी भी—जमींदारी तो गई और जमीन की हदबंदी का कानून भी पारित हुआ, लेकिन अभी भी हमारे यहां गांव के अंदर सामंतों का बहुत बड़ा प्रभाव है। उनके पास गुंडे हैं, उनके पास लाठी है, उनके पास शक्ति है, जिस शक्ति का दुरुपयोग चुनाव के दम्यान वह करते हैं और दुरुपयोग करके गरीबों को बूथ तक नहीं जाने देते हैं, मार कर भगा देते हैं; कहते हैं कि जाओ न, तुम्हारा वोट पड़ चुका है और इस तरह से हमारे यहां चुनाव के बारे में स्थिति है।

इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि कुछ इस तरह का कदम उठाया जाना चाहिए, इस तरह की चीजों को निकाला जाना चाहिए ताकि गरीब जो

बालिग मताधिकार के हक से महकूम हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं, उन्हें यह दिया जा सके। अगर गरीब चुनाव के अंदर इस हक से महकूम रह गये, तो हिंदुस्तान का जनतंत्र क्या है? तब तो यह धनतंत्र हो जाएगा, तब तो शैलीतंत्र हो जाएगा, तब तो मुट्ठे भर लोगों का यह चुनाव बन कर रह जाएगा।

इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि चुनाव प्रणाली में कुछ इस तरह का सुधार किया जाना चाहिए ताकि यह जो गरीबों के हक हैं, वह अपहृत नहीं होने पायें।

अंत में एक-दो बातें और कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा और वह यह कि हमारे यहां संविधान के अंदर एक ही चुनाव कमिश्नर है। हमारा संविधान कहता है कि एक से ज्यादा कमिश्नर हो सकते हैं। इस पर हम लोग एक दिन बहस कर चुके हैं। मंत्रों जी इसको अस्वीकार कर चुके हैं कि हमारे यहां यह सम्भव नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारा देश बहुत बड़ा देश है, विभिन्न तरह की संस्कृति हमारे देश में है, बहुत तरह की परिस्थितियां हमारे देश में हैं। ऐसी स्थिति में किस एक चुनाव कमिश्नर से यह काम होने वाला नहीं है। इसलिए एक से अधिक चुनाव कमिश्नर को बहाल की जाना चाहिए।

अंत में जो सब से चर्चित विषय है आज देश के लिए, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन चुका है, वह यह है कि धर्म और राजनीति के बीच क्या संबंध रहना चाहिए? यह एक विवाद का विषय, बहस का विषय बन चुका है। अभी धर्म का राजनीति के लिए इस्तेमाल होता है। हमारे माननीय मंत्रों जी इसका बुरा न मानेंगे, कांग्रेस पार्टी भी इसका प्रत्यक्ष ढंग से इस्तेमाल करती है और यह बहुत बड़ा खतरा है। कांग्रेस जैसी कलिय पार्टी अगर इस चीज का इस्तेमाल करेगी, तो दूसरी पार्टियां भी कांग्रेस की देखा देखी करेंगी। इसलिए अब समय आ गया है कि

राजनीति और धर्म को अलग किया जाए। राजनीति का स्थान दूसरा है धर्म का स्थान दूसरा है। धर्म का स्थान है मंदिर, धर्म का स्थान है मस्जिद, धर्म का स्थान है गिरजाघर, धर्म का स्थान है पूजा का घर, जहाँ लोग पूजा कर सकते हैं। अगर धर्म को गलियों और कुचों में उतारा जाएगा, तो उस समय धर्म अपनी गरिमा से नचे गिर जाता है।

इसलिए धर्म को पूजा स्थल तक सीमित रखने की जरूरत है। इस तरह का सुधार किया जाना चाहिए। इसके संबंध में मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूँगा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा दी गई—सर्व धर्म समभाव—यह धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा का उल्लंघन है। इसके मुताबिक सभी लोगों को, इसका मतलब है कि धर्म को राजनीति में चौर-दरवाजे से लाने का प्रयास है।

ठाकुर जगतपाल सिंह (मध्य प्रदेश) :
इसका मतलब अपने-अपने धर्म को मानना है।

श्री सूरज प्रसाद : जी नहीं, इसका यह अर्थ नहीं है। यह सैक्युलरिज्म का अर्थ ही नहीं है। सैक्युलरिज्म का अर्थ है धर्म को राजनीति से अलग रखो। यह उसमें मिश्रण करने का अर्थ नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चुनाव प्रणाली में सुधार के साथ-साथ अब यह परमावश्यक हो गया है कि इस देश के अन्दर धर्म को राजनीति से अलग रखा जाए। कुछ लोगों का कहना यह है कि मध्यम युग में धर्म और राजनीति एक थे। हाँ, बेशक, यह बात सच है। लेकिन यह मध्यम युग नहीं है, यह आधुनिक युग है। मध्यम युग में लड़ाई हुई होगी। यूरोपीय मुल्कों के अन्दर और जब आधुनिक युग शुरू हुआ तो जो आधुनिक और नए विचारशील लोग थे रेशनलिस्ट लोग थे यूरोप के अन्दर में तो उन्होंने धर्म को राजनीति से अलग किया। अब हिन्दुस्तान के अन्दर भी यह अवसर आ गया है और मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना

चाहूँगा कि कुछ इस तरह का एक कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें धर्म को राजनीति से अलग रखा जाए।

उप सभापति जी, आपने मुझे बहुत समय दिया, इस के लिए धन्यवाद।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ)

Madam, I must thank at the very outset all the hon. Members and the mover of the Resolution who have participated in this debate.

Madam, the point of view of the Government has been placed before this honourable House on several occasions, and you will kindly appreciate that when we make a mention of electoral reforms in the Presidential Address, then there should be doubt in anybody's mind that the Government is not serious about it. It is a very solemn promise to bring electoral reforms. The question today is, after hearing all the hon. Members you will find that the views projected in this House are divergent. But there are several points on which there is complete unanimity in all political parties. For example, everybody wants today that the muscle power should have no place in our body politic. We should see to it that the elections are fair, they are not very expensive and everybody can participate as far as possible. We all agree on this. Therefore, we must strengthen the existing provision for law regarding booth capturing. Although if you carefully look into the present laws if there is any intimidation of the voters it amounts to a corrupt practice and the person committing this offence is subject to disqualification, but if there is a need to make booth capturing a cognizable offence that will be done. This is one of the proposals to be discussed with political parties. So this aspect of the problem is being looked into. We have circulated a note in our par-

[Shri H. R. Bhardwaj]

liamentary party; that is being discussed. Several political parties have given their own opinions and there I need not waste the time of the House. They are all divergent. But on this issue, whether there is unanimity or not, we must see that the evil of booth capturing is finished as far as possible.

Then, with regard to the other proposal, about identity card, the Election Commission has sent a proposal to have multi-purpose identity card which can reduce expenses; that is also under consideration. Then, public financing of elections—that is also one of the proposals pending for consideration. Then the official machinery—how far this abuse can be stopped—how far a code of conduct that is voluntary—can be enforced, the question of multi-member commission, etc. have been raised by political parties. But as I said earlier, the Election Commission has its own views. They have conveyed them to us and we will be discussing these issue also with the political parties. With regard to the voting machine, I am very happy to inform the hon. House that so far as we are concerned, the Government has taken a basic decision that we will introduce the voting machines in the country. We are aware of the Supreme Court Judgment in the Kerala case. We will see to it that the law is amended suitably. This will require a lot of amendments in the Conduct of Election rules. This will be discussed with the Members of the opposition because various aspects of the introduction of voting machines will have to be discussed so that there is no room for doubt that it will lead to fair elections and nothing else. So, this is also one of the proposals that has been received and this will be discussed.

When there are various other matters. There is the question of a frivolous candidates. The hon. Member, Shri

Verma Ji, has rightly said that this type of Independent and frivolous candidates spoil the very process of elections. The ballot papers are extra large and it makes polling very difficult. These aspects are also there.

With regard to the recognition of political parties, there is already a suggestion as to what should be, the percentage that is required for recognising the political parties. Then there is another proposal with regard to deposit and about the percentage that will entitle the forfeiture of security deposit. Several proposals are before us and they have been circulated. We are discussing them within our party because in a democracy you have to consult each and every Member of Parliament who is also a member of the Parliamentary Party. We feel that the other side should also discuss it. This is a serious matter. Some people say something. I can point out the views expressed by some Members are completely divergent to what their leaders said in the Election Commission and those views are in writing. We want that all these issue must be clarify and categorically discussed.

I am very happy that several very senior Members have emphasised that politics should be de-linked from religion. I am very happy because today the basic difficulty is that in our political life we are not acting according to the ideologies of our various political parties. When we entered politics in student life, there was a clear vision. We found that there were some leftist parties. You might call them Leninist and Marxist parties. They had a tinge of their social philosophy. They had a very particular type of ideology. But we do not find the same thing. Today when certain issues are raised in this House, you find that the leftist parties are saying the same thing as the BJP. Their ideologies are different. But it is a marriage

of convenience. It is simply because they want to oppose us. There is no political content and analogy in the political parties today. Otherwise you cannot speak a different philosophy than what you talk in your party.

श्री सुरज प्रसाद : ... (व्यवधान)

कुछ प्रोब्लम्स पर यह बात नहीं हो सकती। आपके कहने से मैं सहमत नहीं हूँ।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं माननीय सदस्य आपकी बात के बारे में कोई खण्डन नहीं करता। यह तो आत्मा की बात है। अपने अंदर झाँक कर देखिए। ... (व्यवधान) ...

श्री सुरज प्रसाद : भारतीय जनता पार्टी समर्थक है, हम लोग उसके समर्थक नहीं हैं। कैसे आपने कह दी यह बात ?

श्री एच० आर० भारद्वाज : लेकिन रोज आप उनका साथ दे रहे हैं यहाँ पर सदन में, रोज एक दिन नहीं। मैं रोज देख रहा हूँ। पहले कभी यह नहीं हुआ। हम भी लेफिटस्ट रहे हैं और हैं। हमको मालूम है कि लेफिटस्ट को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या यह बात हो रही है मुल्क में? आप लोग झाँकिए अपनी अन्तरात्मा में। कभी आप रीजनल पार्टी के साथ हो जाते हैं और कभी नोन-सेकुलरिज्म के साथ हो जाते हैं इसलिये आपकी दुविधा है ... (व्यवधान) ...

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आपका संबंध लीग के साथ है और एण्टी-नेशनल के साथ है। आप अपने चरित्र को देखिए।

श्री एच० आर० भारद्वाज : हमारा चरित्र और आपका चरित्र सबका एक है, दुनियाँ जानती है। अगर आप पालिटिकल पार्टीज को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि जो पार्टीज हिन्दू राष्ट्र या कोई और राष्ट्र कम्युनल बेसिस पर बनाना

चाहती हैं तो ऐसी पोलिटिकल पार्टी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए और सबको इस बात पर एकमत होना चाहिए, चाहे वह हमारी पार्टी हो या आपकी पार्टी हो।

4.00 P.M.

This is my view. I may be wrong. You not accept what I say.

मुझे खुशी है कि आपको कुछ असर तो हुआ। इसके बाद हम सोचेंगे आप भी सोचिए। यह एक ऐसा मसला है कि जिस पर सबको मिलकर विचार करना होगा। अगर पोलिटिकल पार्टीज अपनी आइडियलाजी के साथ चलेंगे तो देश की राजनीति में भी अंतर आएगा। हमारे अंदर दोष होगा तो हम भी अपने को ठीक करेंगे क्योंकि एक नई बात आपने कही है जिसका मैंने भी स्वागत किया है कि रिलीजन और पोलिटिक्स बिल्कुल अलग होने चाहिए। सैक्युलरिज्म के माने ये नहीं हैं कि देश में कोई धर्म न हो।

श्री सुरज प्रसाद : धर्म व्यक्तिगत है, यह मैंने कहा है।

श्री एच० आर० भारद्वाज : मैं जो समझ पाया हूँ वह यह है कि हमारे समाज में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, यह भावना होती है। सैक्युलरिज्म के माने ये नहीं हैं कि धर्म-विहीन समाज हो, इसके माने ये हैं कि इस देश में जिसका जो भी धर्म है वह उसका मुबारक हो। हम दोनों मिल-जुलकर रहें और धर्म को अपने लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत हित के लिए इस्तेमाल न किया जाए। इसको डिलिव करने का सवाल है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि धर्म और पोलिटिक्स अलग-अलग हों। अगर बेसिक बात पर आप मान जाएं तो यह काम लोगों पर छोड़ दिया जाए कि कौन सी पार्टी सैक्युलर पार्टी है और कौन सी कौमी पार्टी है। अभी तक हमें फरक है कि कांग्रेस पार्टी ही सैक्युलर पार्टी देश में है। ... (व्यवधान)

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : इसलिए तो आप अन्नाडी०एम०के० से मिलते हैं।

SHRI H. R. BHARDWAJ: Now, with regard to the protection of the Harijans and weaker sections of the society, I welcome the suggestions of the Hon. Members. So far as I know, even now the Election Commission arranges separate booths for them. There are several areas which are prone to attacks, on Harijans and at the time of elections they deserve that everywhere those problems arise, the Election Commission must set up separate booths for Harijans and backward people so that their valuable right of vote is allowed to be exercised properly. Sometimes they are deprived of it and it is to be seen that everybody in this country who is entitled to vote is allowed to vote. This is a very serious problem that the backward people and the Harijans are not allowed.

Regarding other complaints in Bihar, I do not agree with the Hon. Members that only goondas and bad characters are elected from there. I find a very good number of enlightened parliamentarians coming from Bihar in both Houses of Parliament. I do not know where the malady lies. I have seen that the people who come from Bihar in Parliament are very-very enlightened parliamentarians. I do not subscribe to it. I have tremendous respect for the M.Ps. coming from Bihar. I am proud of them. They have got a better political understanding than of those coming from some parts of the country. I know it personally. And I must compliment their political knowledge. And so far as this Resolution is concerned, Madam, I am aware.

श्री जगन्मोहि प्रसाद यादव : आप किसकी तारीफ कर रहे हैं ?

श्री एच. आर. भारद्वाज : मैं तो आपकी कर रहा हूँ। सूरज प्रसाद जी की कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि कितने लोग बिहार से आते हैं मुझे तो लगता है कि बिहार से सबसे अच्छे आदमी संसद में आते हैं। आप से बढ़िया मैं किसी को नहीं समझता हूँ। मुझे हुक्मदेव नारायण जी की याद आती है, बड़े अच्छे साथी थे।

I am missing him badly today and masses have sent not only people of the masses but they have also sent people with a lot of political background. You are fortunate that you belong to that place where politics has been in the blood of the people. That you must appreciate. So, I do not subscribe to this. You are revolutionaries and you sometimes become overrevolutionary.

I would reiterate that there is a firm commitment of the Government. We are ready with all the proposals which are pending before the Government and after we have discussed them in our Parliamentary party, we will invite the leaders of the Opposition.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Can you give us an indication of the time-frame?

SHRI H. R. BHARDWAJ: First you become free your elections.

भट्ट जी आप को कश्मीर में होना चाहिए था। आजकल वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं आपको वहाँ रहना था। खैर उसके बाद ही इस बारे में कुछ होगा। ऐसा कहीं हुआ है कि एक तरफ इलेक्शन हो रहे हों और दूसरी तरफ चुनाव प्रणाली में सुधार किया जाये। वहाँ के तुजुर्बे का फायदा उठाना चाहेंगे।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आप इनको प्राइवेट में ले जाकर यह बात कर सकते हैं।

श्री एच. आर. भारद्वाज : जो कुछ भी करना है वह बात करके तय कर लेते हैं। खुद कोई तिथि निश्चित करें। भगत जी से बात कर लीजिए, जब चाहेंगे डिबेट करा लेंगे। मेरी पार्टी में तो सेन्ट्रल हाल में रोज ही चर्चा होती है। हम तो इस को सीरियसली ले रहे हैं। आप लोग जब तैयार होंगे तो हम भी तैयार हो जायेंगे। अब तो कुछ हो नहीं सकता। अब तो इसका फायदा अगले इलेक्शन में आयेगा। उससे पहले कुछ नहीं हो सकता सिर्फ डिसिजन लेने के।

I again emphasise that we are interested in purity of elections and in purity in public life. Whatever they said for years and years, they could not do it, although they get an opportunity. But we have done it on the anti-defection front and we will do on this front also.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : 18 साल को एज करने के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

SHRI H. R. BHARDWAJ: You can discuss this proposal of reducing the age of voting. I cannot take a decision about it with you. We have noted down all the points...

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: We have given our views.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Your party has no views on this matter. Because you are speaking in the House, I do not know what your leader will say on this issue.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Madam, he is avoiding the issue. It is known to the whole country that we want electoral reforms. You are a Minister; you are responsible for it. You must consider that it is the general consensus... (Interruptions).

SHRI H. R. BHARDWAJ: I can only point out to them that various political parties...

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Even the Election Commission has given its opinion; every organisation has given its opinion.

SHRI H. R. BHARDWAJ: I am reminding you to send your proposals to the Election Commission so that they can also be including in these proposals. So far as the personal views of the hon. Member are concerned, I have noted down. But there is nothing new. He has referred to the JP Committee of Tar-kunde...

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: The latest proposals sent by Mr. Hegde?

SHRI H. R. BHARDWAJ: Mr. Hegde is not the Telugu Desam leader. He sent Janata Party proposals. That is the difficulty with them, Madam, Sometimes they

say Mr. Hegde is the leader. I do not know who is their leader. That is the difficulty with them, and I would put it on record that... (Interruptions) I only submit that I want their proposals quickly. They can send it to Election Commission. Telugu Desam Party should send their proposals so that we know it.

I can clarify one thing. So far as late Shri Jayaprakash Narayanji is concerned, everybody in the country has respect for him. He indeed tried something very-very important in the country. Then, you spoiled the whole thing. You broke your promise with him. He became a disillusioned person when he died. You cannot refer to him.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: We have a right to refer.

SHRI H. R. BHARDWAJ: He is on record that these people have betrayed him. (Interruptions)

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: You should not sidetrack the issue. (Interruptions.)

SHRI H. R. BHARDWAJ: Do you want to know the last words of J.P.? Do you want to know what he said about you? He said 'They have frustrated me; I am dying a disillusioned person. Now, you swear by him. This is not fair. Don't stand by a leader whom you did not show any respect when he was alive.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : आप एक काम कर दोजिये। चुनावों के समय जो वित्तिय सहायता को घोषणाएं को जाता है उन घोषणाओं को आप चुनावों के समय न करें।

SHRI H. R. BHARDWAJ: Madam, I have already listed all the proposals pending before us and we will shortly discuss with them, before the next General Elections. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Hanumanthappa is not here. I will put his Resolution to vote. The question is:

[The Deputy Chairman]

"Having regard to the fact that—

democracy in our country has been fully and firmly established through the process of elections;

election is a process by which the democratic will of the people is expressed;

more than 60 per cent of the population of our country is illiterate and poor and further divided by religious, castes, sub-castes etc;

existing election process is woefully expensive and beyond the reach of the poor;

there are many malpractices in elections which tend to shake the confidence of the people in the democratic process of elections; of elections;

this House recommends that a high-powered Committee consisting of Members of both the Houses of Parliament be appointed to study various aspects of electoral reforms and submit comprehensive report suggesting measures to make the functioning of the election process efficient and effective by removing existing flaws and shortcomings therein so that democracy is strengthened and made more people-oriented and purposeful, corrupt practices are eliminated; evil effects of money power are curbed, purity of elections is brought about and the functioning of our democracy is made healthy reflecting the aspirations of the people".

The motion was negatived

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, we take up the next Resolution. Shri Pawan Kumar Bansal. He is absent. The next Resolution is by Shri Bir Bhadra Pratap Singh.

RESOLUTION RE. PROBLEM OF UNEMPLOYMENT

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH (Uttar Pradesh): Madam, I beg to move the following Resolution:

"Having regard to the fact that unemployment is increasing day by day as is evident from the number of eligible persons registered in the employment Exchanges all over the country resulting in tremendous waste of manpower in the country affecting production and economic development and the frustration and unrest amongst the educated unemployed youth, which diverts their constructive energies towards indiscipline, social and moral degradation and other malpractices, this House is of opinion that Government should appoint a Commission to examine all aspects of the problem including the following:-

(a) payment of doles to all the able-bodied unemployed persons on the lines of the system prevalent in many parts of the world;

(b) reduction of the period of voluntary retirement from the present 20 years to 15 years for Central Government employees to provide more opportunities to the unemployed; and

(c) to increase in the age of recruitment to the All India and other allied services from the present 26 to 28 years.

and suggest comprehensive measures to solve the problem within the next decade so that our country moves into the twenty-first century with the work force engaged in the progress and prosperity of the nation."

Madam, I am grateful to you for giving me this opportunity to move this Resolution on an important aspect of life affecting and is likely to change our body politic. Madam, there are four instruments of revolution or change in society. The first one is, idea-givers in society. The second, the students in the society. The third labour in the society. The fourth, which is very important and which should be considered in relation to the second aspect, namely; the students in the society; the unemployed youth in the society. This is the spirit behind my Resolution.